न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 31/10–11, टी0आर0 न0 115/20–21

कार्यपालक अभियंता, लोहरदगा :– अधियाची विभाग
बनाम
बिजय विद्यापति, पिता–एम0 महतो, ग्राम–बुधन लेन, थाना एवं जिला–लोहरदगा देनदार

आदेश

14/6/24

यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लोहरदगा बिजली विपत्र राशि भुगतान नही करने के विरूद्ध देनदार श्री बिजय विद्यापति, पिता–एम0 महतो, ग्राम–बुधन लेन, थाना एवं जिला–लोहरदगा के विरूद्ध **मो0 21087/–(इक्कीस हजार सतासी)** रूपये पर नीलाम पत्र की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 10.12.2010 को दायर किया गया है।

नीलाम पत्र वाद धारा 5 के अन्तर्गत नीलाम पत्र वाद धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 12.01.11 को नोटिस निर्गत किया गया/पुनः पत्रांक 124, दिनांक 05.12.16, पत्रांक 145, दिनांक 20.12.16, पत्रांक 14, दिनांक 11.01.17 एवं पत्रांक 19, दिनांक 19.01.18 द्वारा नोटिस भेजा गया किन्तु तामिला नहीं हुआ तब उसे पत्रांक 61, दिनांक 23.02.18 के द्वारा स्पष्ट रूप से देनदार के पता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया/पुनः अंतिम रूप से पत्रांक 78, दिनांक 24.12.2020 के द्वारा नोटिस भेजा गया उस पर भी तामिला प्रतिवेदन में यह लिखते हुए वापस किया गया कि देनदार द्वारा दिये गये पते पर नहीं है, सही पता दिया जाय।

तब पुनः कार्यालय पत्रांक 89, दिनांक 08.02.2021 तथा 222/24.03.2021 से सीधे कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लोहरदगा को सीधे भेजा गया। किन्तु उसका भी कोई जवाब और न अनुपालन किया गया इससे स्पष्ट है कि अधियाची विभाग को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।

	अतः उपरोक्त परिस्थिति में अधियाची विभाग के अभिरूचि पर वाद को धारा 53 (2) के अन्तर्गत कार्रवाई खारिज/समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधियाची विभाग को भेजें। सत्यापित/लेखापित जिला नीला पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.26 19:18:53 +05:30
Location: 10.93.49.26